हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215

क्रमांकः हि०शि०बो०संबद्धता (38)/2025-3672-4872 दिनांकः 17-04-2025

प्रेषकः

सचिव
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला-176215 ।

प्रेषितः

मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य,
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त
समस्त निजि शिक्षण संस्थान,
हिमाचल प्रदेश ।

विषयः बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों/प्रायोगिक पुस्तकों के सन्दर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश ।

ज्ञापनः

जैसा कि आपको पहले ही इस कार्यालय के पत्र संख्या हि० शि० बो० संबद्धता(38)/2025-2357-3556 दिनांक 29/01/2025 के अर्न्तगत सूचित किया गया है कि आपके द्वारा अपने स्कूलों में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों/प्रायोगिक पुस्तकों को बोर्ड के पुस्तक विक्रय केन्द्रों अथवा उनके अधीन बोर्ड से पंजीकृत Book Sellers से ही क्रय करना होगा तथा उसके पश्चात अपने स्कूल के माध्यम से स्कूल में पढ़ रहे /दाखिल छात्रों को आबंटित करना सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि पाठ्यपुस्तकों/प्रायोगिक पुस्तकों को बोर्ड से पंजीकृत Book Sellers से खरीदा गया है तो लिए गये बिल को निकटतम पुस्तक विक्रय केन्द्र से countersigned करवाकर उसकी प्रति व कक्षाबार छात्रों की सूची संबद्धता शाखा को दिनांक 30/04/2025 तक भेजना भी सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा बोर्ड द्वारा आगामी सत्र की संबद्धता पर विचार नही किया जायेगा।

उक्त पर पुनः निर्देश दिये जाते है कि जिन स्कूलों ने निर्धारित पाठ्यपुस्तकों/प्रायोगिक पुस्तकों को बोर्ड के पुस्तक विक्रय केन्द्रों अथवा उनके अधीन बोर्ड से पंजीकृत Book Sellers से खरीद लिया/ले लिया है वह सम्बन्धित बिलों की सत्यापित छायाप्रतियों को दिनांक 30/04/2025 तक अनुभाग अधिकारी,संबद्धता शाखा, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,धर्मशाला के नाम पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्कूल दस्ती तौर पर बिल की छायाप्रतियां जमा करवाना चाहता है तो वह भी संबद्धता शाखा में दिनांक 30/04/2025 तक जमा करवा सकता है।

अतः यदि दिनांक 30/04/2025 तक किसी संस्थान द्वारा बिलों की सत्यापित छायाप्रतियों को बोर्ड कार्यालय में जमा नही करवाया जाता है तो संबद्धता नियम 16.13.2(b)(h) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

इसे अति आवश्यक समझे।

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.से.)
सचिव।